राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर

...राकृम / सामान्य / केन्टीन / 2024 / 2025 दिनॉक 11.03.2024

निविदा सूचना संख्याः

महाविद्यालय के **'हेवमोर जलपान गृह'** को ठेके हेतु मोहरबन्द निविदाऐं दिनॉक 18.03.2024 को प्रातः 11.30 बजे तक आमन्त्रित कर अगले दिन दिनॉक 19.03.2024 को प्रातः 11.30 बजे खोली जावेगी । निविदा फार्म मय नियम–शर्ते रूपया 100/– तथा निविदा के साथ रूपया 1000/– रोकड़शाखा से चालान प्राप्त कर अधिष्ठाता, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर के नाम जमा कराना होगा । प्राथमिकता हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें । अधिष्ठाता को किसी भी निविदा को अस्वीकार करने व निरस्त करने का अधिकार होगा । जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www. mpuat.ac.in or rcaudaipur.in से प्राप्त की जा सकती है ।

अधिष्ठाता

DEAN
RAJASTHAN COLLEGE OF
AGRICULTURE, UDAIPUR

राजस्थान कृषि महाविद्यालय

(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)

उदयपुर (राज0)

केन्टीन संचालन हेतु आवेदन–पत्र मय विवरण

नाम : ————————————

पिता/पति का नाम : ————————————

वर्तमान पता : ————————————

स्थाई पता : ————————————

————————————

फोन नं0 : ————————————

पहचान पत्र मय : ————————————

फोटो प्रति (वोटर आईडी)

अनुभव : ————————————

मय फोटोप्रति ————————————

फोटो

मैं, ————————————पुत्र श्री ————————————

निवासी ————————————(पूरा पता)

केन्टीन ठेके हेतु तैयार हूँ । मैने आपकी सभी शर्ते व नियम पूर्ण रूप से पढ़ लिये हैं व मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ । मैं आपके द्वारा उल्लेखित (प्रस्तावित/अनुमोदित) मूल्य सूची के अनुसार स्वनिर्मित खाद्य पदार्थ हेवमोर केन्टर का ठेका दिये जाने पर मैं सप्लाई करने हेतु पाबन्द रहते हुऐ आप द्वारा जारी निर्देश की पूर्ण रूप से पालन करूँगा ।

घोषणा

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी सही है । यदि उपरोक्त तथ्यों में कोई त्रुटी पाई गई तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी तथा महाविद्यालय को मेरा ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा ।

मैं, निम्न महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत दो व्यक्तियों के नाम जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं मेरे हर प्रकार के चाल–चलन की जानकारी रखते हैं, मेरे जमानती के रूप में दे रहा हू ।

मैं/हम श्री ———————————— को अच्छी तरह से जानते हैं । इनका कार्य व चाल–चलन अच्छा है व मैं/हम इनकी सारी देन–दारियों के लिये जिम्मेदार है। ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(1) नाम ————————	(02) नाम ————————
पद ————————	पद ————————
विभाग ————————	विभाग ————————
कॉलेज ————————	कॉलेज ————————

DEAN
RAJASTHAN COLLEGE OF
AGRICULTURE, UDAIPUR

महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य सूची
स्वनिर्मित प्रदार्थ

क्र.सं.	नाम वस्तु	मात्रा / वजन	अधिकतम दर (रू.)
1.	चाय प्रति कप	100ml	5.00
2.	कोफी प्रति कप (शुद्व दुध मै)	100ml	10.00
3.	दुध प्रति ग्लास (मीठा)	150ml	15.00
4.	कचोरी / समोसा, आलुबडा चटनी सहित	100gm	10.00
5.	ब्रेड बडा / प्याज कचोरी (चटनी सहित)	100 gm	10.00
6.	पोहा (प्याज व नमकीन सहित)	100 gm	10.00
7.	पकोडे (चटनी सहित)	100 gm	20.00
8.	दही की लस्सी (मीठी)	200 ml	18.00
9.	आलू पराठा / प्याज पराठा अचार व सोस के साथ	125 gm	20.00
10.	सादा पराठा अचार व सोस के साथ	100gm	15.00
11.	आलू वेज ब्रेड सेण्डवीच (दो बडी ब्रेड (सोस के साथ)	स्टेडर्ड साइज	20.00
12.	इडली / वडा (2 नंग) सांभर के साथ	स्टेडर्ड साइज	25.00
13.	मेगी प्लेन	125 gm	20.00
14.	वेज मेगी	140 gm	25.00
15.	हाई टी फल, मिठाई, वैफर्स, समोसा, कचोरी, चाय / कोफी (with packing)पेपर प्लेट	–	37.00 प्रति
16.	हाई टी फल, मिठाई, वैफर्स, समोसा, कचोरी, fruity 160 ML (with packing) पेपर प्लेट	–	45.00 प्रति
17.	सरस छाछ / लस्सी / वैफर्स / बिस्किट अन्य उत्पाद	–	MRP पर
पैक्ड पदार्थः पैक्ड पदार्थो जेसे बिस्किट, पेय पदार्थ इत्यादि की दर उन पर अंकित अधिकतम खुदरा दर (MRP) से अधिक नही होगी।			

सेवा प्रदाता के कार्यो तथा डयूटी का विवरण अनुबंधकर्ता केंटीन संचालन के समस्त कार्य यथा खाद्वय सामग्री तैयार करना, टेबलो पर परोसना, ग्लास व प्लेटे इत्यादि साफ करवाना एंव अन्य उत्तरदायी होगा तथा इस हेतु पर्याप्त व्यक्तियो को कार्य पर रखना होगा।

सेवा के बदले लाइसेंस राशि प्रतिमाह राशि 2000/– (दो हजार रूप्ये) मात्र मास रहे प्रथम सप्ताह में चालान द्वारा बैंक मे जमा करा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित मे सूचित करना होगा।

DEAN
RAJASTHAN COLLEGE OF
AGRICULTURE, UDAIPUR

नियम व शर्तें

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रतिभूति राशी 30,000/–(तीस हजार रूपये) नोनज्युडिसल स्टाम्प दस्तावेज मय नोटेरी अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार संतोषप्रद कार्य होने पर ठेका विश्वविद्यालय नियमानुसार बढाया जा सकता है परंतु लाइसेंस शुल्क 10 ०/०प्रतिवर्ष की दर से बढाया जायेगा।
3. यदि सफल निविदादाता समय पर संतोषप्रद कार्य नही कर पाता है तो अधिष्ठाता को परिस्थिति अनुसार एक सप्ताह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ऐसी अवस्था मे अमानत /धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी एंव अन्य दण्ड राशि देय बिल मे से काट ली जायेगी।
4. निविदादाता को भवन रखरखाव बिजली पानी की एवज से स्वीकृत लाईसेंस फिस राशि प्रतिमाह जमा करानी होगी। एक फ्रिज,एक ओवन के अतिरिक्त अन्य बिजली के उपकरण उपयोग मे लेने की लिखित मे अधोहस्ताक्षर से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. ठेकेदार को केन्टीन के लिए फर्निचर दिये जायेगे,उसकी सम्भाल रखने एंव केंटीन मे लगी हुई फिटिंग्स के सम्भाल कर रखने की पूर्ण जिम्मेवारी रहेगी। केंटीन फर्निचर एंव अन्य उपकरण के रखरखाव में कमी पाए जाने पर एक हजार रूपये दण्ड वसूला जायेगा।
6. ठेकेदार को अपनी पुंजी लगाने की अनुमानित क्षमता बताना आवश्यक है।
7. ठेकेदार को केन्टीन संचालन के लिए स्वय को बैठना होगा। वह अन्य किसी व्यक्ति को केन्टीन संचालन हेतु अधिकृत नही कर सकेगा।
8. ठेकेदार केवल व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग करेगा। बिजली का हीटर काम मे नही ले सकेगा।
9. केंटीन के फर्निचर व अन्य वस्तुओ की सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सफाई के लिए अधिष्ठाता किसी भी समय अपने द्वारा मनोनीत सदस्यो द्वारा अथवा स्वंय केंटिन मे आकर निरक्षण कर सकेगे और यदि सफाई नही पाई गई तो ठेकेदार के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी।
10. खाध्यसामग्री में मुंगफली /शुद्व सोयाबिन तेल ही काम मे लिया जाएगा तथा उसका ब्राण्ड बताना होगा।
11. चाय पत्ति का ब्राण्ड विवरण देना होगा तथा चाय/कॉफी डिस्पोजल पेपर गिलास मे देना होगा।
12. केंटिन में किसी प्रकार के तम्बांकू ,बीडी,सिगरेट,प्रतिन्धित शीतल पेय पदार्थ आदि व नशे समेंधित वस्तुओ का कय–विकय एंव भण्डारण नही कर सकेगा। मादक द्वव्य पदार्थो का केंटिन के अन्दर सेवन /बिकी पुर्णतया वर्जित है। इसके लिए समय–समय पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशो का पालन किया जाना आवश्यक है।
13. जलपान सेवा व्यवस्था के लिए आवश्यकतानुसार कम से कम तीन व्यस्क कर्मचारी रखने होगें। कर्मचारी उचित व साफ सुथरी पोशाक पहन कर काम करेगां जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। स्टाफ को वस्तुओ की सप्लाई टेबल पर करनी होगी। कर्मचारी को स्टाफ से व्यवहार की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। बाल श्रमिक को केंटिन मे कार्यरत पाये जाने पर राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

DEAN
RAJASTHAN COLLEGE OF AGRICULTURE, UDAIPUR

14. केंटिन का दुरूपयोग नही हो तथा ठेकेदार केंटिन में किसी भी व्यक्ति को बिना कार्य नही बैठने देगा व अधिकृत कर्मचारी के अलावा किसी भी व्यक्ति को रसोई गृह में प्रवेश नही होने देगा।
15. खाद्य सामग्री की शुद्वता की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह प्रतिदिन शुद्व व ताजा वस्तुऐं बनाकर बिकी करेगा। इसके विपरीत होने पर अधिष्ठाता द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकेगी। मिलावटी, अशुद्व सडी गली अथवा समयावधि पश्चात उपयोग मे ली गई खाद्य सामग्री के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी से उत्पन्न कानूनी कार्यवाही की संपूर्ण जिम्मेंदारी ठेकेदार की होगी। अधिष्ठाता द्वारा गठित कमेटी एंव आवश्यकतानुसार खाद्य निरीक्षक से शुद्वता की जॉच करवाई जा सकती है।
16. ठेकेदार को वस्तुओं के सेम्पल भी मान्य कराने पडेगें और उसके अनुसार उसे वस्तुऐं विकय करनी होगी। घटीया व निश्चित वनज की हुई वस्तुओ की मात्रा से कम का वितरण करने पर दण्ड का भागी होगा जो कि ठेकेदारी समाप्ति तक हो सकती है।
17. केंटिन का समय प्रातः 8.00 से सायं 6.00 एंव गर्मी के दिनो मे माह मई व जुन प्रातः 7.00 बजे से 2.00 बजे तक होगा। महाविद्यालय के छात्रो की सुविधानुसार केन्टीन का समय परिवर्तित किया जा सकता है तथा महाविद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यकमो जैसे खेलकूद मिटिंग्स आदि के लिए अधिक समय तक अथवा अवकाश के दिन भी केंटिन खुली रखना आवश्यक होगा जिसकी पूर्व सूचना ठेकेदार को समय पर दे दी जावेगी । कार्यालय में होने वाली मिटिंग्स में चाय काफी इत्यादि की सप्लाई ठेकेदार को अपने कर्मचारी द्वारा करनी होगी। कार्य दिवस पर केन्टीन बंद होने पर पूर्व सूचना के अभाव मे कार्यवाही की जावेगी।
18. केंटिन की लाइसेंस फीस माह के प्रथम सप्ताह मे जमा करना होगा अन्यथा रूपये 50/- (पचास रूपये) प्रतिदिन या रूपये 500/- (पॉच सौ रूपये) प्रतिमाह दोनो मे से जो अधिक होगा उस हिसाब से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
19. निविदादाता को खाद्य गुणवता प्रमाण पत्र (FASSAI) प्रस्तुत करना होगा।
20. उक्त सूची के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए कमेटी द्वारा अनुमति लेने के बाद सप्लाई कर सकता है।

दिनांकः-
स्थानः उदयपुर

अधिष्ठाता
राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर
RAJASTHAN COLLEGE OF AGRICULTURE, UDAIPUR

हस्ताक्षर
निविदादाता मय पूरा पता
एवं रबर स्टाम्प के